कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री वर्धमान स्पोर्ट्स कम्पनी, एल. आई. जी.-107, इन्द्रानगर, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**108 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मोहन सिंह, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-108 / 10, दिनांक 26.11.10 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया है :-

1. क्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-1 के क्रमांक-51 में उल्लिखित शब्दावली Sports Goods के अन्तर्गत पूर्व अधिनियम में स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत वर्णित सभी आइटम सम्मिलित माने जायेंगे ?

2. क्या स्पोर्ट्स ग्लव्स, स्पोर्ट्स नी कैप, स्वीट बैण्ड एवं फुटबाल स्टाकिंग, Sports goods के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के शैड्यूल-1 की प्रविष्टि-51 के अन्तर्गत कर मुक्त है ?

2. फर्म की ओर से मोहन सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म असिस्टेंट कमिश्नर, खण्ड-17, वाणिज्य कर, कानपुर के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है तथा उनका टिन नम्बर-09837510643 है तथा उनके द्वारा स्पोर्ट्स गुड्स के निर्माण एवं ट्रेडिंग का कार्य किया जाता है। बताया गया कि स्पोर्ट्स ग्लव्स, स्पोर्ट्स नी कैप, स्वीट बैण्ड एवं फुटबाल स्टोकिंग खिलाड़ियों द्वारा खेलते समय प्रयोग किया जाता है। इन आइटमों का प्रयोग सामान्य व्यक्तियों द्वारा समान रूप से नहीं किया जाता है। अत: उनके अनुसार उपरोक्त आइटम स्पोर्ट्स गुड्स होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 के अन्तर्गत आते हैं।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 निम्नवत् है :-

51	Wooden toys; Lac & Shellac including paseva,mulamma,button lac and kiri ;Sports goods excluding apparels and Sports footwear ; Stop clock (*vide Noti.no.-KA.NI-2-1021/XI-9(1)/08....dated 09-04-08 effective from 09-04-08)*

4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर सम्भाग-सी के पत्रांक-2098, दिनांक 04.01.11, एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-17, कानपुर के पत्र संख्या-1189, दिनांक 24.12.10 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा जिन 4 वस्तुओं पर कर की दर पूछी गयी है वह स्पोर्ट्स गुंड्स की श्रेणी में आते हैं।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली आदि का परिशीलन एवं प्रस्तुत सैम्पल आदि का अवलोकन किया गया पाया गया कि-

.....2

(1) व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रथम प्रश्न धारा-59 (1) (a), (b), (c), (d) एवं (e) की विषयवस्तु नहीं है। अत: प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

(2) व्यापारी द्वारा पूछे गये द्वितीय प्रश्न द्वारा जिन 4 वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही गयी है उपरोक्त चारों वस्तुएं Sports Protection Covers के अन्तर्गत नहीं आती हैं। व्यापारी द्वारा जो स्टाकिंग प्रस्तुत किया गया है उसका उपयोग जन साधारण द्वारा किया जाता है तथा इसे हिन्दी में मोजा भी कहते हैं। इसी प्रकार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत स्पोर्ट्स ग्लव्स (दस्ताने) जन साधारण द्वारा जाड़ों आदि के दिनों में सर्दी आदि से बचाव हेतु मोटर साइकिल आदि चलाने के समय पहना जाता है। इसी प्रकार स्वीट बैण्ड और स्पोर्ट्स नी कैप चिकित्सकों द्वारा दर्द / आर्थोपीडिक समस्याओं के निवारण हेतु मरीजों को पहनने हेतु परामर्श भी दिया जाता है। इस प्रकार स्वीट बैण्ड और स्पोर्ट्स नी कैप दोनों आर्थोपीडिक बीमारी के निवारण हेतु भी प्रयोग में लायी जाती है। अत: उपरोक्त प्रस्तुत चारों वस्तुओं को उपयोगिता एवं प्रयोग की दृष्टि से मात्र स्पोर्ट्स गुड्स की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री PUMA AYURVEDIC HERBAL (P.) LTD. V. COMMISSIONER, CENTRAL EXCISE, NAGPUR, दिनांक 08.03.2006 के वाद में किसी वस्तु की कर की दर निर्धारित करने के लिए कामन पारलेन्स का ट्युन टेस्ट निर्धारित किया गया है। उक्त ट्युन टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में भी उपरोक्त चारों वस्तुओं का परीक्षण करने पर उपरोक्त वस्तुओं को स्पोर्ट्स गुड्स की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कामन पारलेन्स में उपरोक्त वस्तुओं का प्रयोग जन साधारण द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के उपयोगों में लाया जाता है तथा विभिन्न उपयोगों के प्रकार में स्पोर्ट्स गुड्स की भाँति उपरोक्त वस्तुओं का प्रयोग करना भी एक प्रकार है। अत: उपरोक्त वस्तुओं के उपयोगिता के दृष्टि में रखते हुए यह माना जाना उचित है कि उपरोक्त 4 वस्तुएं **(ग्लव्स, नी कैप, स्वीट बैण्ड एवं स्टाकिंग)** उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 में कहीं वर्गीकृत / सम्मिलित नहीं हैं अत: उक्त प्रविष्टि में न आने के कारण कर मुक्त नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 मई, 2011

ह0 / 19.05.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि